



भारतीय संसद राज्य सभा

			वि			प्र							
	सं	वि	धा	न		श्							
	स	धि				न							
	द	का	र्य	पा	लि	का							
						ल							
												वे	
												त	
							आ	श्	वा	स	न		
							चा						
			वि	शे	षा	धि	का	र					
			धे										
			य					रा	ज	य	स	भा	
६	या	ना	क	र्ष	ण							मि	
												ति	

विधि निर्माण प्रक्रिया





भारतीय संसद
राज्य सभा

विधि निर्माण प्रक्रिया



© राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

वेबसाइट : <http://parliamentofindia.nic.in>

: <http://rajyasabha.nic.in>

ई-मेल : rsrlib@sansad.nic.in

आमुख

यह पुस्तिका राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्यों की सुविधा के लिए प्रकाशित की गई पुस्तिकाओं की शृंखला का एक भाग है। इसमें हमारी संसद की विधि-निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से संबंधित संक्षिप्त सूचना निहित है। संपूर्ण सूचना के लिए मूल स्रोतों का संदर्भ लिया जा सकता है।

इस पुस्तिका का प्रयोजन तत्काल संदर्भ के लिए एक सुविधाजनक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना है। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
जुलाई, 2018

देश दीपक वर्मा
महासचिव

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्रस्तावना	1
(i) विधि-निर्माण की प्रक्रिया	1-2
(ii) विधेयक का प्रारूप.....	2-3
(iii) विधेयकों के प्रकार	3-4
2. सरकारी विधेयक	5
(i) विधायी प्रस्तावों का प्रारम्भ	5
(ii) विधेयकों का प्रारूप तैयार करना	6
(iii) उद्देश्यों और कारणों का कथन.....	6-8
(iv) राज्य सभा में आरम्भ होने वाले विधेयक	8
(v) प्रथम वाचन.....	8-9
(vi) राजपत्र में प्रकाशन.....	9-10
(vii) द्वितीय वाचन.....	10
(viii) प्रवर/संयुक्त समिति के समक्ष विधेयक	10
(ix) विधेयक पर राय जानने के लिए उसका परिचालन ...	10-11
(x) खण्ड-वार विचार	11
(xi) तृतीय वाचन.....	12
(xii) संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक	12-13

(xiii) दूसरे सदन में आरम्भ होने वाले तथा राज्य सभा को भेजे जाने वाले विधेयक	13-14
(xiv) विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में विचार किया जाना	14-15
3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	16-18
4. राष्ट्रपति की अनुमति	19-20
5. वित्तीय मामले.....	21
(i) धन विधेयक	21-23
(ii) वित्त विधेयक-वर्ग-I	23
(iii) वित्त विधेयक-वर्ग-II	24
6. परिनियत संकल्प	25-27
7. परिनियत प्रस्ताव.....	28-30
8. चुनिंदा संदर्भ-ग्रंथ सूची.....	31

प्रस्तावना

संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है विधि का निर्माण करना। आमतौर पर सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार 'विधि' विधेयक में सुनिश्चित रूप से व्यक्त एक ऐसा अनिवार्य निदेश है जिस पर चर्चा की गई हो और जिसे विधिवत् रूप से गठित विधान-मंडल अथवा संसद द्वारा विहित रीति से पारित किया गया हो और जिसे राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी अनुमति दी हो जिसे प्रत्येक नागरिक मानने के लिए बाध्य हो और विधि का सम्मान सुनिश्चित करने का दायित्व रखने वाले न्यायालय उसे लागू करने के लिए बाध्य होते हैं।¹ 'विधि' शब्द के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, परिपाटी या विधि शक्ति रखने वाला आचरण आता है।²

सभी वैधानिक प्रस्तावों को विधेयकों के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है। विधेयक परिनियम का प्रारूप होता है और कोई भी विधेयक चाहे वह सरकारी अथवा किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जाए, तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक इसे संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो गई हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है और उसे राष्ट्राध्यक्ष की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो वह कानून बन जाता है।

विधि-निर्माण की प्रक्रिया

एक कल्याणकारी राज्य में एक सुव्यवस्थित समाज की रचना करने, जहां तक सम्भव हो, जनता की कठिनाइयों को कम करने, सामाजिक, राजनैतिक

¹एस.एल. शकधर, द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, द्वितीय संस्करण, 1967, पृष्ठ 3

²भारत के संविधान का अनुच्छेद 13(3)(क)

और आर्थिक बुराइयों को दूर करने तथा न्याय प्राप्त करने के रास्ते को सुगम बनाने के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। विधायी प्रस्ताव तैयार करने में विधान की विषय-वस्तु का व्यापक ज्ञान, भाषा पर पूर्ण अधिकार, विधि का रूप ग्रहण करने वाले विधेयक के उद्देश्यों के बारे में बिल्कुल सही तथा स्पष्ट धारणा और उन उद्देश्यों को असंदिग्ध शब्दों में अभिव्यक्त करने की दक्षता की आवश्यकता होती है। विधान के निर्माण में विशेषज्ञों और सामान्य जनों, दोनों ही के सहयोग और सहमति की आवश्यकता होती है। उन व्यक्तियों का अत्यन्त दक्ष होना भी आवश्यक है जो विधि का कार्य प्रारम्भ करने और उसका प्रारूप तैयार करने से संबद्ध हों। इसके लिए उन सामान्य संसद सदस्यों की कुशाग्रबुद्धि की भी आवश्यकता है जिनमें लिखित शब्दों के पीछे निहित भावना को जानने की दृष्टि तथा क्षमता हो जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित विधि समाज की प्रगति में सहायक है, निरंकुश पूर्वाग्रह से मुक्त है, सामान्य बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए सरलतापूर्वक बोधगम्य है और उसमें ऐसी कोई त्रुटि अथवा खामी नहीं है जिससे उसका दुरुपयोग किया जा सके।³

विधेयक का प्रारूप

विधेयक का प्रारंभ एक संक्षिप्त नाम, एक पूरा नाम, जहां आवश्यकता हो, वहां एक प्रस्तावना और एक अधिनियमन सूत्र से किया जाता है। इसमें उसके लागू होने की सीमा भी विनिर्दिष्ट होती है और कतिपय मामलों में, उस तारीख का भी उल्लेख होता है जिसको वह प्रवृत्त होगा। यदि उसमें किसी तारीख का उल्लेख न हो तो उसका अर्थ यह होता है कि विधेयक साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार, अर्थात् उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होगी। कुछ मामलों में विधेयक में यह उपबंध हो सकता है कि कानून उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। कुछ विधेयकों में परिभाषा खंड होता है जिसका अभिप्राय संदिग्धता और नीरस पुनरावृत्ति को दूर करना होता है। विधेयक में प्रभावी धारा अथवा धाराएं,

³ द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, पूर्व उल्लिखित संदर्भ से, पृष्ठ 6

अपवाद और छूटें, प्रक्रियात्मक उपबंध, अधिनियम और नियमों के अभिप्रावी प्रभाव, दाण्डिक खंडों, कार्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति करना, भ्रांतियों को दूर करना, निर्देश जारी करने की शक्ति तथा बचत के खंड भी होते हैं।

विधेयक को स्वतः पूर्ण पैराग्राफों में विभाजित किया जाता है जिन्हें खंड कहा जाता है, प्रत्येक खंड में विधेयक में सम्मिलित प्रस्तावों की एक रूपरेखा होती है। एक खंड को उपखंडों में और उपखंडों को आगे भागों में विभाजित किया जा सकता है। खंडों को 1, 2, 3, आदि क्रम संख्या में क्रमबद्ध किया जाता है, उपखंडों को (1), (2), (3), आदि क्रम में, और भागों को (i), (ii), (iii), आदि अथवा (क), (ख), (ग), आदि रूपों में क्रमबद्ध किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक हो, किसी विधेयक में अनुसूचियां भी जोड़ी जा सकती हैं। नियमानुसार, ब्यौरे के मामलों, जैसे सूचियों, सारणियों आदि को अनुसूचियों में जोड़ा जाता है। यदि कोई विधेयक लम्बा है तो उसे अध्यायों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अध्याय, खंड और अनुसूची को संक्षिप्त शीर्षक दिया जाता है। एक ऐसा विधेयक जिसमें नए प्रस्ताव, विचार और नीतियां समाविष्ट हों तथा ऐसा विधेयक जिसमें 25 से अधिक खंड होते हैं उसमें 'खंडों के क्रम' के रूप में खंडों की एक सूची भी होती है जो विधेयक की विषय सूची के रूप में होती है। कतिपय विधेयकों में उद्देश्यों और कारणों के कथन के बाद 'खंडों पर टिप्पणियां' भी होती हैं जो विधेयक के प्रत्येक खंड के उद्देश्य को स्पष्ट करती हैं और संशोधी विधेयकों में यथास्थिति, संविधान अथवा मूल अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के उद्धरण, उपबंध के रूप में भी होते हैं।

भारत में किसी विधेयक का अधिनियमन सूत्र इस प्रकार है—“भारत गणराज्य के.....वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।” इसका अर्थ है कि संसद, जो राष्ट्रपति और सदनों से मिल कर बनती है, देश के लिए विधि का अधिनियमन करती है।

विधेयकों के प्रकार

संविधान के उपबंधों के अध्याधीन, विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है।⁴ विधेयकों को सरकारी और गैर-सरकारी

⁴ अनुच्छेद 107(1)

सदस्यों के विधेयकों के रूप में इस बात को देखकर वर्गीकृत किया जा सकता है कि उस विधेयक को किसी मंत्री ने प्रायोजित किया है अथवा किसी गैर-सरकारी सदस्य ने प्रायोजित किया है। अपनी विषय-वस्तु के आधार पर विधेयक निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:

- (क) वे विधेयक जिनमें नये प्रस्तावों, विचारों या नीतियों का समावेश होता हो;
- (ख) वे विधेयक जो विद्यमान कानूनों में उपांतरण, संशोधन या पुनरीक्षण करना चाहते हैं;
- (ग) वे विधेयक जो किसी विशेष विषय पर विद्यमान कानून का समेकन करना चाहते हैं;
- (घ) वे विधेयक जिनका प्रयोजन समाप्त हो रहे अधिनियम या निरसनकारी परिनियमों को जारी रखना हो;
- (ङ) वे विधेयक जो अध्यादेशों तथा घोषणात्मक परिनियमों को प्रतिस्थापित करते हैं; और
- (च) संविधान (संशोधन) विधेयक।

कराधान संबंधी धन विधेयक और विनियोग तथा वित्तीय विधेयकों को अपने विशेष लक्षणों के कारण अन्य विधेयकों से पृथक माना जाता है।⁵

⁵ कौल एण्ड शकधर, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 586

सरकारी विधेयक

विधायी प्रस्तावों का प्रारम्भ

सरकारी विधायी प्रस्ताव मंत्रिमंडल या मंत्री या मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किये जाते हैं। ऐसे प्रस्ताव जिनका संबंध सरकार की मुख्य नीतियों से होता है, उन निर्वाचन वायदों को कार्यान्वित करने के लिए आरम्भ किये जाते हैं जिसके आधार पर दल सत्ता में आया था। लघु या कम महत्व के प्रस्ताव मंत्री या उसके मंत्रालय द्वारा वर्तमान विधियों के कार्यकरण के अनुभव के परिणामस्वरूप लाये जा सकते हैं। तथापि, सभी मामलों में जैसे ही किसी विधायी प्रस्ताव पर विचार कर लिया जाता है, तो संबंधित मंत्रालय इसके राजनैतिक, प्रशासनिक, वित्तीय या सामाजिक फलितार्थों का मूल्यांकन करता है। यदि सरकार के अन्य मंत्रालय अथवा राज्य सरकारें किसी भी रूप में उस प्रस्ताव से सम्बद्ध होते हैं, तो उनकी राय पर विचार किया जाता है। जहां भी आवश्यक होता है, विशेषज्ञों की राय भी ली जाती है। समस्या के कानूनी या संवैधानिक पहलुओं की जांच विधि मंत्रालय या महान्यायवादी के परामर्श से की जाती है। सभी दृष्टिकोणों से प्रस्ताव की पूरी तरह जांच करने तथा इससे सम्बद्ध पक्षों से परामर्श करने के बाद एक स्वतः पूर्ण ज्ञापन तैयार किया जाता है जिसे विधि मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दिए जाने के बाद मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल अपनी चर्चा प्रस्ताव में निहित नीति के मुख्य पहलुओं तक सीमित रखता है और अपना निर्णय देता है। यदि प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो, तो मंत्रिमंडल अपनी एक स्थायी समिति या तदर्थ समिति को इसकी सविस्तार जांच करने के लिए कह सकता है और मंत्रिमंडल यह अपेक्षा भी कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्ताव में निहित सिद्धान्त या नीति का अनुमोदन किये जाने के बाद वास्तविक विधेयक के प्रारूप को सविस्तार जांच हेतु उसे प्रस्तुत किया जाए।⁶

⁶ द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, पूर्व उल्लिखित संदर्भ से, पृष्ठ 8

विधेयकों का प्रारूप तैयार करना

मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने के बाद, प्रशासनिक मंत्रालय पत्रों को विधेयक का रूप देने के लिए उन्हें विधि मंत्रालय के प्रारूपकार के पास भेज देता है। प्रारूपकार का कार्य बहुत कठिन होता है और उसे इस कला में विशेष रूप से प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त करना होता है। उसे न केवल भारतीय संविधि पुस्तक से बल्कि सरकार के कार्यकलापों की विभिन्न शाखाओं में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी शब्दावली की पद्धति और उनके सही अर्थ का भी व्यापक तथा गहन ज्ञान होना चाहिए। उसे सरकार के कार्यकरण, न्यायिक निर्णयों और देश की समस्याओं का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसी विधेयक के उपबंध विशेष के लिए वह जिन शब्दों तथा वाक्यांशों का चयन करता है, उनसे उनका आशय बिना किसी अस्पष्टता के प्रकट होना चाहिए। उसे विधेयक के रूप तथा इसकी शब्द रचना से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सरल तथा प्रभावी हो और औसत योग्यता वाले व्यक्ति भी आसानी से समझ सकें। इससे जुड़े सम्बद्ध कार्यकारी मंत्रालय के मुख्य अधिकारियों को उसे पूरी सहायता और सहयोग देना चाहिए, उसे प्रस्ताव से सम्बद्ध सभी सुसंगत पत्र और दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए, सूचना के साथ-साथ उससे मौखिक चर्चा भी करनी चाहिए, जिससे कि प्रारूप विधेयक को यथासम्भव पूर्णता प्रदान की जा सके। विधेयक के प्रारूप की प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विस्तार से जांच की जाती है। कभी-कभी सभी प्रकार की आलोचनाओं का समाधान करने और उस मामले से सम्बद्ध विभिन्न विशेषज्ञों को सन्तुष्ट करने के लिए विधेयक का प्रारूप कई बार तैयार करना पड़ता है। विधेयक यदि महत्वपूर्ण है, तो मंत्रिमंडल या उसकी किसी समिति द्वारा उसकी विस्तार से जांच भी की जा सकती है।⁷

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधेयक के इन सभी विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरने और प्रारूपकार विशेषज्ञों, मंत्री तथा मंत्रिमंडल की अंतिम सहमति के बाद इसे 'उद्देश्यों और कारणों के

⁷ द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, पूर्व उल्लिखित संदर्भ से, पृष्ठ 9

कथन', जिसमें संक्षेप में प्रस्तावित विधान लाने के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है, को तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। कथन में विधेयक की विषय-वस्तु और उद्देश्यों की व्याख्या की जाती है तथा इससे विधेयक की आवश्यकता और कार्यक्षेत्र को समझने में सहायता मिलती है। यह गैर-तकनीकी भाषा में तैयार किया जाना चाहिए और यह अनावश्यक रूप से लम्बा नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में, विधेयकों के साथ, 'खण्डों पर टिप्पण', 'वित्तीय ज्ञापन', 'विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन' के प्रस्तावों (यदि कोई हों) को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन तथा अध्यादेश में उपांतरण करके उसके स्थान पर लाये जाने वाले विधेयक के मामले में विधेयक में किये गये परिवर्तनों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होता है। यदि विधेयक किसी विद्यमान कानून में संशोधन करना चाहता है, तो उन उपबंधों के, जिन्हें विधेयक द्वारा संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है, उद्धरण विधेयक के साथ संलग्न एक पृथक उपाबंध के रूप में भी उद्धृत किये जाते हैं। विभिन्न ज्ञापनों, उपाबंधों आदि सहित विधेयक के हर प्रकार से पूरा हो जाने के बाद उसे प्रारूपकार के पास भेज दिया जाता है, जो अन्तिम जांच के बाद उसे मुद्रण के लिए भेज देता है। तत्पश्चात् वह अपने द्वारा विधिवत् रूप से संशोधित और अनुप्रमाणित प्रूफ-प्रति को उस सभा के महासचिव के पास भेज देता है, जिसमें उस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना है।⁸

उस सभा के सचिवालय को, जिसमें विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना है, प्रारूपकार से विधेयक की प्रूफ-प्रति प्राप्त हो जाने के बाद उस वर्ष की विधेयक संख्या डालने, विधेयक के प्रत्येक पृष्ठ पर 5, 10, 15, आदि के रूप में पंक्तियों को संख्यांकित करने (सभा में संशोधन देने और उन पर विचार करने के कार्य को आसान बनाने के लिए) तथा आवश्यक संख्या में प्रतियां मुद्रित कराने के लिए सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाती है। विधेयक के जिन खंडों या उपबंधों में भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्ग्रस्त हो, वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जाते हैं, लेकिन जहां इस अपेक्षा को पूरा न किया गया हो, वहां सभापति को यह अधिकार है कि वह विधेयक के भार साधक सदस्य को ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे

⁸ द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, पूर्व उल्लिखित संदर्भ से, पृष्ठ 9

सकता है।⁹ विधेयक को उस दिन की कार्यावलि में सम्मिलित किया जाता है जिस दिन मंत्री उसे पुरःस्थापित करना चाहता है। यदि संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अधीन विधेयक के विचारार्थ राष्ट्रपति की अपेक्षित सिफारिश समय पर प्राप्त हो जाती है, तो उसे प्रूफ-प्रावस्था में विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों के कथन' के बाद उद्धृत कर दिया जाता है। यदि सिफारिश विधेयक के मुद्रण के बाद प्राप्त होती है, तो समय मिलने पर उसे संसदीय समाचार में प्रकाशित कर दिया जाता है।

राज्य सभा में आरम्भ होने वाले विधेयक

सभा में विधेयक को पारित करने में तीन वाचन होते हैं।

प्रथम वाचन

विधायी प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन—राज्य सभा या लोक सभा में विधेयक के पुरःस्थापन के साथ आरम्भ हो जाती है। तथापि धन विधेयक (अर्थात् ऐसे विधेयक जिनमें केवल करों के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन संचित निधि में से धन के विनियोग तथा संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (क) से (च) में उल्लिखित अन्य मामले होते हैं तथा अनुच्छेद 110 से संबंधित उपबंधों वाले वित्तीय विधेयक तथा दूसरे मामलों को केवल लोक सभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।

विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति मांगना आवश्यक है।¹⁰ यदि सभा द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो विधेयक को पुरःस्थापित किया जाता है। यही विधेयक का प्रथम वाचन है। सामान्यतः पुरःस्थापन के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता है लेकिन ऐसे अवसर भी आये हैं, जब सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित करने के प्रस्तावों का विरोध^{10क} किया गया है।

यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाता है, तो सभापति, यदि उचित समझे, तो प्रस्ताव का विरोध

⁹ राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों का नियम 64(2)

¹⁰ नियम 62

^{10क} 4 फरवरी, 2004 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 के पुरःस्थापन का विरोध किया गया और सदन में मतदान कराये जाने पर प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

करने वाले सदस्य और प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुमति दे सकता है। इसके बाद बिना और वाद-विवाद के प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रख दिया जाता है। सदस्य विधेयक का इस आधार पर भी विरोध कर सकता है कि विधेयक ऐसे मामले पर विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायी क्षमता से परे है तथा ऐसे मामले में सभापति उस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है।¹¹ एवं 11क

राजपत्र में प्रकाशन

पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् विधेयक यथाशीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।¹² परन्तु पुरःस्थापित होने से पूर्व भी विधेयक सभापति की अनुमति से राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में विधेयक को सभा में पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती और विधेयक सीधे पुरःस्थापित कर दिया जाता है।¹³

विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की स्थापना के बाद से राज्य सभा या लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयकों को राज्य सभा के माननीय सभापति या लोक सभा के माननीय अध्यक्ष संवीक्षा तथा प्रतिवेदन के लिए इन समितियों को सौंप सकते हैं।^{13क}

¹¹ नियम 67

^{11क} 224 वें सत्र के दौरान, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने के लिए कृषि मंत्री की ओर से सूचना प्राप्त हुई। तथापि, कुछ सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने पर, विधेयक का पुरःस्थापन 28 दिसम्बर, 2011 को आस्थगित कर दिया गया। इस विधेयक को 225वें सत्र के दौरान 22 मई, 2012 को पुरःस्थापित किया गया। 25 अप्रैल, 2013 को संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 के पुरःस्थापन का विरोध किया गया और विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया गया।

एक अन्य अवसर पर, जब गृह मंत्री ने साम्प्रदायिक हिंसा निवारण (न्याय तक पहुंच और क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव किया तो विपक्ष के नेता और अन्य सदस्यों ने विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया और इसके परिणामस्वरूप, विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव 5 फरवरी, 2014 को आस्थगित कर दिया गया।

¹² नियम 68

¹³ नियम 61

^{13क} नियम 270(ख) और 273। एक मामले में पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कंपनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1993 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने से पहले, विभाग-संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। इसी प्रकार से एक अन्य मामले में भी व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 1994 को राज्य सभा में औपचारिक रूप से पुरःस्थापित किए जाने से पहले, विभाग-संबंधित श्रम तथा कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। इसे अन्ततः राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया।

राज्य सभा के माननीय सभापति और लोक सभा के माननीय अध्यक्ष समिति के लिए विधेयक की जांच और प्रतिवेदन हेतु सामान्य तौर पर तीन माह की समय-सीमा निर्धारित करने पर सहमत हो गये हैं।

द्वितीय वाचन

द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार करने के दो प्रक्रम होते हैं। पहले प्रक्रम पर समूचे विधेयक के बारे में चर्चा की जाती है और केवल विधेयक के सिद्धांत और उसके उपबंधों पर सामान्यतः चर्चा की जाती है। इसी प्रक्रम पर सभा विधेयक को सभा की प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप सकती है या उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित कर सकती है या उस पर सीधा ही विचार आरम्भ कर सकती है।¹⁴

प्रवर/संयुक्त समिति के समक्ष विधेयक

विधेयक को प्रवर/संयुक्त समिति को¹⁵ सौंपे जाने पर, समिति विधेयक पर खंडशः विचार करती है, जैसे सभा द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न खंडों पर संशोधन उपस्थित किये जा सकते हैं। समिति उन सभी संघों, सरकारी निकायों या विशेषज्ञों के साक्ष्य ले सकती है जिनकी विधेयक में अभिरुचि हो। विधेयक पर इस प्रकार विचार किये जाने के पश्चात् समिति अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करती है और सभा समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार करती है।

विधेयक पर राय जानने के लिए उसका परिचालन

विधेयक को, उस पर लोकमत प्राप्त करने के उद्देश्य से परिचालित किया जा सकता है¹⁶ और ऐसे मत राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।

¹⁴ नियम 69

¹⁵ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 को, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 11 दिसम्बर, 2015 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 12 मई, 2015 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रवर समिति द्वारा 22 जुलाई, 2015 को प्रतिवेदन सौंपा गया।

¹⁶ नियम 69

जब विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाता है और उस पर मत प्राप्त हो जाते हैं तथा सभा पटल पर रख दिये जाते हैं तब विधेयक के बारे में अगला प्रस्ताव इसे प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपने का होना चाहिए। साधारणतया इस प्रक्रम पर विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जब तक कि सभापति इसकी अनुमति न दे दे।¹⁷

खंड-वार विचार

द्वितीय वाचन के दूसरे प्रक्रम पर विधेयक पुरःस्थापित रूप में अथवा प्रवर/संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खंड-वार विचार होता है। विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है और इस प्रक्रम पर खंडों पर संशोधन उपस्थित किये जा सकते हैं। यदि संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अथवा सिफारिश अपेक्षित होती है तो ऐसे संशोधन को उपस्थित करने वाला सदस्य उसे अपने नोटिस के साथ संलग्न करेगा अन्यथा वह वैध नहीं होगा।¹⁸ प्रत्येक संशोधन और प्रत्येक खंड पर सभा में मतदान होता है। यदि उन्हें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य बहुमत से स्वीकार करते हैं तो संशोधन विधेयक का अंग बन जाते हैं। खंडों के पश्चात् विधेयक की अनुसूची, यदि कोई हो, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का पूरा नाम और संक्षिप्त नाम सभा द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर द्वितीय वाचन समाप्त हुआ माना जाता है।

¹⁷ नियम 70(3)। कौल एण्ड शकधर, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, सातवां संस्करण, 2016, पृष्ठ 626-631 भी देखें।

¹⁸ 19 फरवरी, 2014 को दो सदस्यों की ओर से आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 में संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। चूंकि विधेयक के खंड 46 और 67 में प्रस्तावित संशोधनों पर, इन संशोधनों को उपस्थित किए जाने के लिए संविधान का अनुच्छेद 117(1) लागू होता था, इसीलिए विधेयक पर विचार किए जाने की राष्ट्रपति की सिफारिश गृह मंत्री द्वारा 20 फरवरी, 2014 को इस सचिवालय को संसूचित की गई। 2 सितम्बर, 2013 को, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, के खंड 97 के लिए गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दिए गए संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित थी क्योंकि इस संशोधन का आशय भू-स्वामियों को दिए गए प्रतिकर पर स्टाम्प शुल्क और आय कर से छूट प्रदान करना था। संशोधन को उपस्थित किए जाने की राष्ट्रपति की सिफारिश ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा संसूचित की गई।

तृतीय वाचन

तत्पश्चात्, प्रभारी सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक (या संशोधित रूप में विधेयक) पारित किया जाए। इस प्रक्रम को विधेयक का तृतीय वाचन कहा जाता है। इस प्रक्रम पर वाद-विवाद, विधेयक के समर्थन या उसे स्वीकृत करने वाली दलीलों तक ही सीमित रहता है, जो बहस के प्रयोजन से सामान्य प्रकृति की होंगी और जब तक आवश्यक न हो किसी प्रकार के विवरण का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। इस प्रक्रम पर केवल औपचारिक, मौखिक या परिणामी संशोधनों की ही अनुमति दी जाती है¹⁹। किसी साधारण विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है।

संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक

संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक के मामले में, इसे संसद की किसी भी सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है और इसे प्रत्येक सभा में सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों से अन्यून के बहुमत से पारित करना होता है।²⁰ यदि संविधान (संशोधन) विधेयक को अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार किसी भी एक सभा में अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इसे पारित न किया हुआ माना जाता है। संविधान में संविधान संशोधन विधेयकों पर सभाओं में असहमति होने पर संयुक्त बैठक आयोजित करने की अनुज्ञा नहीं है।

विगत में राज्य सभा और लोक सभा दोनों में ऐसे अवसर आए हैं जब संविधान (संशोधन) विधेयकों को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला है। उदाहरण के तौर पर भारत के पूर्ववर्ती राज्यों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के संबंध में संविधान (24वां संशोधन) विधेयक, 1970 में पारित नहीं किया जा सका क्योंकि इसे राज्य सभा में अपेक्षित बहुमत नहीं

¹⁹ नियम 109 और 110

²⁰ अनुच्छेद 368

मिला था। इस विधेयक को विचारण के प्रक्रम में 149 मत पक्ष में मिले और 75 मत विरोध में पड़े। उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्य 224 थे जिसमें से 150 मत अर्थात् 224 के दो तिहाई मत विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक थे। अतः यह विधेयक एक मत के एक भाग (अर्थात् वस्तुतः एक मत से) के कम होने के कारण पारित नहीं हो सका। इस विधेयक को संविधान (26वां संशोधन) विधेयक, 1971 के रूप में पुनः स्थापित किया गया था और पारित किया गया था।

पुनः अक्टूबर, 1989 में राज्य सभा में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में संविधान (64वां संशोधन) विधेयक, 1989 और संविधान (65वां संशोधन) विधेयक, 1989 को अपेक्षित बहुमत नहीं मिल सका। दोनों विधेयकों को विचार करने के प्रक्रम में अलग-अलग मत-विभाजन में 157 मत पक्ष में मिले और 83 मत विरोध में पड़े। प्रस्ताव के लिए कुल मतों का 160 (240 का दो तिहाई) होना आवश्यक था। अतः 3 मत कम होने के कारण विधेयकों को पारित नहीं किया जा सका।²¹

1990 के बजट सत्र के दौरान पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि तीन वर्ष के बाद छह महीनों की और अवधि तक के लिए बढ़ाये जाने के बारे में संविधान (64वां संशोधन) विधेयक, 1990, राज्य सभा में पारित रूप में, लोक सभा में आरम्भिक प्रक्रम में अपेक्षित बहुमत अर्थात् सभा के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात् लोक सभा के 273 मत प्राप्त नहीं कर सका। इस विधेयक के पक्ष में 236 मत मिले और विरोध में 5 मत पड़े तथापि इसी विधेयक को लोक सभा में संविधान (65वां संशोधन) विधेयक, 1990 के रूप में पुनः स्थापित किया गया और पारित किया गया। राज्य सभा ने भी इस विधेयक को 10 अप्रैल, 1990 को पुनः पारित किया।

जब कोई विधेयक राज्य सभा में पारित हो जाता है तो इसे सहमति के लिए इस आशय के संदेश के साथ लोक सभा में भेज दिया जाता है।

दूसरे सदन में आरम्भ होने वाले तथा राज्य सभा को भेजे जाने वाले विधेयक

विधेयक के लोक सभा में पारित हो जाने के पश्चात् इसे सहमति के लिए इस आशय के संदेश के साथ राज्य सभा में भेज दिया जाता है और यथासंभव

²¹ राज्य सभा वाद-विवाद, दिनांक 13 अक्टूबर, 1989, का. 294-308

शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाता है। राज्य सभा में भी यह उन्हीं प्रक्रमों से गुजरता है अर्थात् विचार तथा पारण या लौटाया जाना। धन विधेयकों के संबंध में²² अनन्य रूप से लोक सभा को विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है और राज्य सभा उसमें केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है और उसे ऐसे विधेयक को, इसे प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर लोक सभा को लौटा देना चाहिए। धन विधेयक के मामले में लोक सभा को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को या सभी सिफारिशों को स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे। विगत में, तीन अवसरों पर राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोक सभा ने स्वीकार किया है। यदि कोई धन विधेयक जिसे लोक सभा ने पारित कर दिया हो और उसे राज्य सभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया हो, 14 दिन की उक्त समयावधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता तो उक्त अवधि समाप्त होने पर उसे दोनों सभाओं द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ मान लिया जाता है^{22क} जिस रूप में इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में विचार किया जाना

यदि धन विधेयक तथा संविधान (संशोधन) विधेयक के अलावा कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है और दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाते हैं या दूसरे सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से उसे पारित किये बिना छह मास से अधिक बीत जाते हैं तो राष्ट्रपति गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाता है जिस रूप में संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के सदस्य बहुमत से उसे पारित करते हैं।²³

²² अनुच्छेद 109

^{22क} चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015 को लोक सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 2015 को पारित किया गया किन्तु इसे राज्य सभा द्वारा 14 दिनों के भीतर नहीं लौटाया गया। उक्त विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अधीन संसद की सभाओं द्वारा पारित किया गया माना गया।

²³ अनुच्छेद 108

अब तक दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक के केवल तीन उदाहरण मिलते हैं। पहली संयुक्त बैठक मई, 1961 में हुई थी जिसमें दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959, जिसमें किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सभाएं अंतिम रूप में असहमत हो चुकी थीं, को पारित किया गया था। दूसरी बार ऐसी बैठक मई, 1978 में हुई जिसमें राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 को पारित किया गया था। तीसरी संयुक्त बैठक 26 मार्च, 2002 को हुई थी जिसमें राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 पारित किया गया था। पहली संयुक्त बैठक में अर्थात् दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 के संबंध में 1961 में हुई सभाओं की संयुक्त बैठक में राज्य सभा द्वारा आग्रह किए जाने पर कुछ संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें संयुक्त बैठक में पारित रूप में विधेयक में शामिल कर लिया गया था।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

मंत्री के अतिरिक्त यदि कोई सदस्य विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहता है तो, उसे विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना देनी होती है तथा उस सूचना के साथ उसे विधेयक की एक प्रति और उद्देश्यों तथा कारणों का व्याख्यात्मक कथन, जिसमें कोई तर्क नहीं होंगे, देना होता है। गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना की कालावधि एक मास है, यदि सभापति इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे²⁴ ऐसे विधेयकों पर केवल गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के कार्य-निष्पादन के लिये नियत दिनों में ही चर्चा की जा सकती है।

हर शुक्रवार की बैठक में अंतिम ढाई घंटे प्रायः गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य-निष्पादन के लिये नियत किये जाते हैं। एक शुक्रवार गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए तथा दूसरा शुक्रवार गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए उपलब्ध होता है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का प्रारूप तैयार करने का उत्तरदायित्व वैसे तो संबंधित सदस्य का ही होता है फिर भी सचिवालय सदस्यों को हर संभव तकनीकी सहायता और परामर्श देता है ताकि विधेयक तकनीकी आधार पर अस्वीकार न हो जाए। यदि सभापति ठीक समझे तो वह उद्देश्यों और कारणों के कथन की पुनरीक्षा कर सकता है²⁵

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निपटाने के लिए नियत किये गये दिन, पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों को उस दिन की गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यावलि में पहली मद पर रखा जाता है²⁶ परम्परा के अनुसार, किसी विधेयक के पुरःस्थापन के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता है।

²⁴ नियम 62

²⁵ नियम 62 का परन्तुक

²⁶ नियम 25(2)(क)

हालांकि कुछेक मामलों में विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया गया।^{26क} यदि गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के पुरःस्थापन का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का सूत्रपात होता है जो राज्य सभा की विधायी क्षमता से बाहर है तो सभापति या पीठासीन अधिकारी उस पर पूरी चर्चा की अनुमति दे सकता है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के पुरःस्थापन के पश्चात् जहां तक तदनंतर विधायी अवस्थाओं का संबंध है, उनकी सापेक्ष पूर्ववर्तिता सभापति के आदेश के अनुसार बैलट द्वारा निर्धारित की जाती है और बैलट का यह दिन लॉटरी निकाले जाने के दिन से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले होना चाहिए। राज्य सभा में पुरःस्थापित किये गये तथा लंबित पड़े विधेयकों के संदर्भ में लॉटरी निकालने की यह प्रक्रिया है कि ऐसे सदस्यों के नाम पर बैलट किया जाता है जिनके विधेयक लंबित हों, और बैलट में जिन दस सदस्यों का नाम पहले आता है, उनसे सदन में प्रस्तुत करने हेतु अपने विधेयकों का चयन करने के लिए कहा जाता है। दस सदस्यों के नामों की सूची में से केवल प्रथम पांच सदस्यों के विधेयकों को विचार के लिए उस विधेयक को

^{26क} 30 जुलाई, 1993 को श्री सतीश प्रधान, संसद सदस्य ने संविधान (संशोधन) विधेयक, 1993 (अनुच्छेद 370 का लोप करना) को सभा में पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव उपस्थित किया था। सभा में उपस्थित कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया। सदस्यों के अनुरोध के पश्चात् उप-सभाध्यक्ष ने सभा में प्रस्ताव पर मतदान करवा दिया। सभा ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया तथा विधेयक को उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी गई।

पुनः 23 अगस्त, 1993 को श्री कृष्ण लाल शर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 1993 (अनुच्छेद 30 के संशोधनार्थ) को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए उपस्थित किए गए प्रस्ताव का कुछ सदस्यों ने विरोध किया। परन्तु इससे पहले कि प्रस्ताव पर सभा में मतदान करवाया जाता, श्री कृष्ण लाल शर्मा ने विरोध कर रहे सदस्यों के अनुरोध पर विधेयक को वापस ले लिया। 9 जुलाई, 2001 को श्री विद्यानिवास मिश्र, संसद सदस्य ने संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (उद्देशिका के संशोधनार्थ) को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव उपस्थित किया था। कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया। सदस्यों के अनुरोध के पश्चात् प्रस्ताव पर सभा में मतदान कराया गया। सभा ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई। श्री मनोहर जोशी, संसद सदस्य ने संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 370 के संशोधनार्थ) को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया। कुछ सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की। सदस्यों के अनुरोध के पश्चात् प्रस्ताव पर सभा में मतदान करवाया गया। प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया और विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी गयी।

छोड़कर यदि कोई हो, जिस पर आंशिक रूप से चर्चा की गई हो और जिसे सदैव प्राथमिकता दी जाती है, किसी सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आवंटित दिनों की कार्यावलि में शामिल किया जाता है।

जहां तक राज्य सभा में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार के प्रक्रमों तथा सामान्य प्रक्रिया से संबंधित नियमों का संबंध है, सरकारी विधेयकों और गैर-सरकारी विधेयकों के बीच कोई अन्तर नहीं है। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सरकारी विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में पारण के लिए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने हेतु समान प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।

1952 से अब तक, गैर-सरकारी सदस्यों के 14 विधेयक कानून बन चुके हैं और इनमें से पांच विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए थे।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सभा द्वारा किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को पारित किए जाने के 36 वर्ष बाद हाल ही में श्री तिरुचि शिवा, सदस्य द्वारा पुरःस्थापित विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 को 24 अप्रैल, 2015 को पारित किया गया। यह विधेयक लोक सभा में विचाराधीन है और पारित किये जाने हेतु लम्बित है।

राष्ट्रपति की अनुमति

जब किसी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, तब जिस सदन में विधेयक पर अंत में विचार किया गया हो, उसका सचिवालय इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजता है। धन-विधेयक के संबंध में या दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में पारित विधेयक के मामले में लोक सभा सचिवालय उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजता है। विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है।

राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है अथवा अनुमति रोक²⁷ सकता है। राष्ट्रपति विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को अपनी सिफारिशों के साथ दोनों सदनों को पुनर्विचार²⁸ करने के लिए लौटा सकता है और यदि सदन विधेयक को संशोधनों सहित अथवा संशोधनों के बिना पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी अनुमति देनी ही होती है।

ऐसे विधेयक के मामले में, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों

²⁷ संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1991 को संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित रूप में, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए 18 मार्च, 1991 को उनको प्रस्तुत किया गया। वह विधेयक लगभग एक वर्ष तक राष्ट्रपति के पास लम्बित पड़ा रहा, जब विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय के सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपनी अनुमति रोक रखी है। इस संबंध में एक घोषणा सभा में की गई थी।

²⁸ भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 को संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित रूप में, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए 19 दिसम्बर, 1986 को उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। वह विधेयक तीन वर्षों तक राष्ट्रपति के पास लम्बित रहा, अगले राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अनुसरण में, 7 जनवरी, 1991 को वह विधेयक पुनर्विचार के लिए संसद की सभाओं को लौटा दिया। यह पहला अवसर था जब राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिये लौटाया गया था। तदनंतर सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। पुनः वर्ष 2006 में, संसद (निरहता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 को, संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित रूप में राष्ट्रपति की अनुमति के लिए 24 मई, 2006 को उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। 30 मई, 2006 को राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को संसद की दोनों सभाओं द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया। संसद की दोनों सभाओं द्वारा विधेयक को उसके मौजूदा रूप में ही पुनः पारित किया गया और उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर उन्होंने 18 अगस्त, 2006 को अपनी अनुमति दे दी।

के अनुसार संविधान के किसी उपबंध में संशोधन करना चाहता है, सदनों द्वारा अपेक्षित विशेष बहुमत से पारित किये जाने और राज्यों द्वारा अनुसमर्थित किये जाने, जहां अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित हो, के पश्चात् राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी होती है।²⁹

²⁹ अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 368

वित्तीय मामले

धन विधेयक और वित्त विधेयक

धन विधेयक

संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई परिभाषा के अनुसार धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें उसके खण्ड (1) में विस्तार से दिए गए सभी या किसी एक विषय से संबंधित उपबन्ध हो। उसमें विस्तार से दिए गए उपबन्ध निम्न प्रकार से हैं:

- (क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन;
- (ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन;
- (ग) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना;
- (घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;
- (ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना;
- (च) भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखे की मद से धन प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की लेखा-परीक्षा; और
- (छ) उपखण्ड (क) से उपखण्ड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय।

तथापि, संविधान के अनुच्छेद 110 के खण्ड (2) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई विधेयक केवल इसीलिये, कि वह जुर्मानों या अन्य

धन संबंधी शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इसीलिए कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है, धन विधेयक नहीं समझा जाएगा।

यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होता है। धन विधेयक संबंधी प्रत्येक मामले में विधेयक को राज्य सभा को प्रेषित किये जाने अथवा अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किये जाने से पहले लोक सभा के अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित इस आशय का प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित करते हैं कि वह धन विधेयक है। जब तक अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं है, यह प्रमाण-पत्र लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा ही पृष्ठांकित किया जा सकता है।

राज्य सभा में धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया वही है जो लोक सभा द्वारा पारेषित अन्य विधेयकों के मामलों में अपनाई जाती है। अंतर केवल इतना है कि अन्य विधेयकों के संबंध में संशोधनों की सिफारिश की जाती है और अंतिम प्रस्ताव यह होता है कि विधेयक को पारित किया जाए, जबकि धन विधेयकों के संबंध में संशोधनों की सिफारिश की जाती है और अंतिम प्रस्ताव यह होता है कि विधेयक को लौटाया जाए। इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर धन विधेयक इस संदेश के साथ लोक सभा को लौटा दिया जाता है कि राज्य सभा को विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है अथवा यथास्थिति, विधेयक में किये गये संशोधनों की सिफारिश की सूचना देते हुए लोक सभा को संदेश भेजा जाता है, लोक सभा को संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत राज्य सभा द्वारा की गई सभी सिफारिशों अथवा किसी भी सिफारिश को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प है। तथापि, राज्य सभा को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को लोक सभा को लौटाना होता है अन्यथा उक्त अवधि की समाप्ति पर इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाता है जिस रूप में यह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

राज्य सभा में पुरःस्थापित किये गये किसी विधेयक के संबंध में यदि इस प्रकार की कोई आपत्ति की जाती है कि विधेयक धन विधेयक है और इस विधेयक पर राज्य सभा में कोई कार्यवाही न की जाए तथा राज्य सभा के सभापति को इस आपत्ति की वैधता के संबंध में कोई शंका हो तो वह उस मामले को लोक सभा के अध्यक्ष को भेज सकता है, जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।³⁰

3 दिसम्बर, 2004 को श्री ललित सूरी, संसद सदस्य द्वारा सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए उपस्थित किए गए प्रस्ताव का वित्त राज्य मंत्री श्री प्रेम चन्द गुप्ता ने सभा में इस आधार पर विरोध किया कि विधेयक धन विधेयक है। मामले को लोक सभा अध्यक्ष के पास भेजा गया। उन्होंने विधेयक को धन विधेयक माना। विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गई।

वित्त विधेयक-वर्ग-I

संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अंतर्गत आने वाले विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए तथा अन्य मामलों के बारे में उपबंध करता है। यह भी कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें धन विधेयक और एक सामान्य विधेयक दोनों की विशेषताएं होती हैं। जहां तक धन विधेयक का संबंध है, पहली बात यह है कि इसे राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है और दूसरे इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित^{30क} नहीं किया जा सकता। इन दो बातों को छोड़कर वित्त विधेयक अन्य सभी पहलुओं से किसी भी अन्य सामान्य विधेयक जैसा ही होता है।

³⁰ नियम 186(7) और (8)

^{30क} 230वें सत्र के दूसरे भाग के दौरान (30.1.2014) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने के लिए गृह मंत्री की ओर से सूचना प्राप्त हुई। विधायी विभाग से प्राप्त विधेयक की प्रूफ प्रति की जांच करने से ऐसा प्रतीत हुआ कि विधेयक के कुछ खंडों पर अनुच्छेद 110(1)(क) और (ड) लागू होते हैं और इस प्रकार यह विधेयक वित्त विधेयकों के वर्ग-I में आ जाता है। तदनुसार, विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सूचना की ग्राह्यता के संबंध में 10 फरवरी, 2014 को विधि और न्याय मंत्रालय की सलाह मांगी गई। तथापि, इस बीच, सरकार ने विधेयक को लोक सभा में पुरःस्थापित करना श्रेयस्कर समझा और विधेयक 13 फरवरी, 2014 को उस सभा में पुरःस्थापित किया गया।

वित्त विधेयक-वर्ग-II

कुछ अन्य प्रकार के विधेयक भी हैं जो संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत वित्त विधेयक ही होते हैं। ये विधेयक पूर्व में उल्लिखित धन विधेयकों और वित्त विधेयकों के बजाय, अधिकांशतः साधारण जैसे ही होते हैं। इस वर्ग के वित्त विधेयकों और साधारण विधेयकों में केवल यही अन्तर होता है कि इस प्रकार के वित्त विधेयक को, यदि इसे अधिनियमित किया जाए और प्रवर्तन में लाया जाए तो इसमें भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्ग्रस्त होता है और यह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता, जब तक राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सभा से सिफारिश न करे। अन्य सभी पहलुओं से इस वर्ग के विधेयक साधारण विधेयकों जैसे ही होते हैं।

परिनियत संकल्प

वे संकल्प जो संविधान या संसद के किसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सभा पटल पर रखे जाते हैं, परिनियत संकल्प कहलाते हैं। ऐसे परिनियत संकल्प का नमूना, जिसकी सूचना संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन सदस्यों (आमतौर पर विपक्ष के) द्वारा अक्सर दी जाती है, इस प्रकार है:

“यह सभा राष्ट्रपति द्वारा (तारीख) को प्रख्यापित
..... अध्यादेश (..... का.सं.) का निरनुमोदन
करती है”

ऐसे संकल्प पर और अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक पर सुस्थापित परंपराओं के अनुसार चर्चा की जाती है।

संसद द्वारा पारित अधिनियम के उपबंधों के अधीन भी परिनियत संकल्पों की सूचना दी जाती है। उदाहरणार्थ, एक ऐसा ही संकल्प निम्नलिखित रूप में उपस्थित किया गया था:

“असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 19 मार्च, 1982 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ख) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में, यह सभा उक्त उपधारा (3) के अधीन एक सौ पच्चासी करोड़ रुपये की राशि को ऐसी अधिकतम राशि के रूप में नियत करने का अनुमोदन करती है जिसे असम राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी समय ऋण के रूप में ले सकेगा।”³¹

“यह सभा झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन 18 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।”^{31क}

³¹ 5 मई, 1992 को श्री विक्रम महाजन द्वारा उपस्थित।

^{31क} 26 फरवरी, 2013 को गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा उपस्थित।

“यह सभा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क के अनुसरण में, सांविधिक दर में संशोधन कर सीटीएच 7113 अथवा 7114 के अंतर्गत आने वाले (क) आभूषणों और उनके हिस्सों, जो कि बहुमूल्य धातुओं के बने हों या जिन पर बहुमूल्य धातुओं की परत चढ़ी हो, और (ख) स्वर्णकारों या रजतकारों के पात्र और उनके हिस्सों, जो कि बहुमूल्य धातुओं के बने हों या जिन पर बहुमूल्य धातुओं की परत चढ़ी हो, पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने वाली अधिसूचना संख्या 44/2013-सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितम्बर, 2013 [सा.का.नि. 635(अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2013] का अनुमोदन करती है।”^{31ख}

“यह सभा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) और (3) के साथ पठित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 50 के अधीन 16 फरवरी, 2014 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239कख के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुमोदन करती है।”^{31ग}

परिनियत संकल्प की सूचना मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी जा सकती है। जब तक कि सरकार को किसी अधिनियम के अधीन किसी निर्धारित समय-अवधि के भीतर संकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक न हो परिनियत संकल्प उपस्थित करने के लिए नियमों में सूचना की कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है लेकिन सामान्यतया समय-सीमा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद विशेष अथवा उस परिनियम की धारा में होता है जिसके अधीन संकल्प उपस्थित किया जाता है। परिनियत संकल्प पर बैलट नहीं होता है। स्वीकार किए जाने के पश्चात् इसको संसदीय समाचार में ‘परिनियत संकल्प’ शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार के संकल्प के लिए कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर सभा द्वारा समय आवंटित किया जाता है।

^{31ख} 18 दिसम्बर, 2013 को वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा उपस्थित।

^{31ग} 20 फरवरी, 2014 को श्री आर.पी.एन. सिंह द्वारा उपस्थित और 21 फरवरी, 2014 को स्वीकृत।

किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए परिनियत संकल्प का एक उदाहरण निम्नलिखित है:

“यह सभा 3 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का सं. 3) का निरनुमोदन करती है।”^{31घ}

^{31घ} 21 मार्च, 2013 को श्री डी. राजा द्वारा उपस्थित।

परिनियत प्रस्ताव

राज्य सभा द्वारा बनाए गए तथा सभा पटल पर रखे गए नियमों, विनियमों के वातिलीकरण या उपांतरण या संसद के किसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में विभिन्न परिषदों, बोर्डों आदि के निर्वाचन आदि के लिए उपस्थित किए गए प्रस्ताव 'परिनियत प्रस्ताव' के वर्ग में आते हैं।

कोई भी सदस्य सभा में रखे गए, किसी नियम, विनियम, उप-नियम आदि का संशोधन करने के लिए उस रूप में जिसे सभापति उपयुक्त समझे, सूचना दे सकता है। सभापति सभा के नेता के परामर्श से ऐसे नियम, विनियम, उप-नियम, आदि पर दिए गए संशोधनों पर विचार तथा उनके पारण के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का कोई भाग, जो भी वह उचित समझे, निर्धारित करता है।

प्रस्ताव उपस्थित करने वाला सदस्य जिसे उत्तर देने का अधिकार है, बहस का उत्तर देता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे सहमत हेतु लोक सभा को भेज दिया जाता है।

उदाहरण के रूप में इस प्रकार का एक प्रस्ताव, भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 के वातिलीकरण के लिए श्री शिव चन्द्र झा द्वारा 1 मार्च, 1983 को निम्नलिखित रूप में उपस्थित किया गया था:

“यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 में, जो 21 फरवरी, 1983 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 93(अ) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और 24 फरवरी, 1983 को सभा पटल पर रखा गया था, वातिलीकरण किया जाये; और

यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा इस संकल्प से सहमत हो।”³²

³²1 मार्च, 1983 को श्री शिव चन्द्र झा द्वारा उपस्थित।

इस प्रकार के संकल्प का एक और उदाहरण भी दिया जा सकता है। यह संकल्प श्री एरा सेजियन ने भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 का उपांतरण करने के लिए निम्नलिखित रूप में उपस्थित किया था:

“यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 में, जो 21 फरवरी, 1983 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 93(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और 24 फरवरी, 1983 को सभा पटल पर रखा गया था, निम्नलिखित उपांतरण किया जाए अर्थात्:

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:

“2. भारतीय तार नियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 16 के उपनियम (2) में आये ‘एक रुपया पचास पैसे’ शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आए हैं, ‘एक रुपया पचपन पैसे’ शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।”
और

(ii) नियम 3 से 19 का लोप किया जाये; और

यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा इस संकल्प से सहमत हो।”³³

विभिन्न अधिनियमों में इस आशय के उपबंधों के अनुसरण में विभिन्न कानूनी निकायों के लिए निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव, संसद की सभाओं की कार्यवाहियों का एक नियमित भाग है। ये प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में उपस्थित किये जाते हैं:

“केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 5 के उपनियम (1) के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में यह सभा, उस

³³श्री एरा सेजियन द्वारा 1 मार्च, 1983 को किया गया उपस्थित।

रीति से जैसे सभापति निदेश दे, अपने सदस्यों में से एक सदस्य को केन्द्रीय रेशम बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।'³⁴

इन प्रस्तावों को बिना बहस के स्वीकार कर लिया जाता है।

³⁴27 अप्रैल, 1984 को श्री राव वीरेन्द्र सिंह द्वारा उपस्थित।

तुनिंदा संदरुुुं गुरंथ-सूतुी

1. शकधर, एस.एल.: द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, दुवितुीय संसुकरण, 1967
2. भारत का संविधान (9 नवडुबर, 2015 के अनुसार), विधायी विभाग, विधि और न्याय डुंत्रालय, 2015
3. कौल, एड.एन. और शकधर, एस.एल.: प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, सातवां संसुकरण, 2016
4. राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियडु, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, नौवां संसुकरण, 2016

